2019/00220

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 66 / 2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामूलाल पुत्र स्व॰ श्री जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. सहायक कलक्टर आमेर श्री विष्णु कुमार गोयल आर ए एस
2. चौथमल पुत्र बलदेव
3. हरदेव
4. छोटू
5. रामनाथ

पुत्रान ग्यारसा

6. रामस्वरूप
7. श्योजीराम
8. मूलचन्द
9. लेखराज

पुत्रान जगदीश

10. मांगीदेवी पत्नी जगदीश

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

11. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये उपायुक्त जोन 9, जे एल एन मार्ग, जयपुर ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर।
13. गंगाराम चौधरी पुत्र नारायण चौधरी जाति जाट

निवासी महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

14. छोटूराम
15. बाबूलाल
16. कानाराम
17. शंकर लाल
18. रामकिशोर

पुत्रान जगदीश नारायण

19. भोली देवी पत्नी जगदीश नारायण

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

20. भूरी देवी पुत्री जगदीश नारायण पत्नी श्री बालचन्द
21. सुशीला देवी पुत्री जगदीश नारायण पत्नी श्री बोदूराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिाल जयपुर ।

तरतीबी अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर
जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 30/2018 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा॰पत्र संख्या 28/2018 ब उनवानी रामूलाल बनाम चौथमल व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने ।

उपस्थितः–

1. श्री रमेश चन्द शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री भगवान सहाय शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 13 की ओर से है।

निर्णय दिनांक 4-11-2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उक्त उनवानी वाद प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 14 लगायत 21 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 13 के विरूद्व दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 13 के नोटिस जारी किये गये । दिनांक 7.01.2019 को अप्रार्थी संख्या 11 व 12 की तामील हो चुकी तथा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली को शेष अप्रार्थीगण की तामील/जबाब एवं आदेश हेतु नियत कर दी गई। दिनांक 10.01.2019 को अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा कर उक्त उनवानी पत्रावली को तलबी/ जबाब हेतु नियत की गई। दिनांक 26.02.2019 को अप्रार्थी संख्या 13 द्वारा शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 14 लगायत 21 तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 12 के नोटिस जारी किये गये। दिनांक 6.3.2019 को शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र हेतु जारी शुदा नोटिस में से अप्रार्थी संख्या 2 व 5 एवं अप्रार्थी संख्या 11 व 12 के नोटिस तामील मानते हुये तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 14 लगायत 21 और अप्रार्थी संख्या 3, 4, 6 लगायत 10 के नोटिस अदम तामील प्राप्त हुए जिस पर शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पर पुनः नोटिस जारी करने के आदेश किये गये। दिनांक 11.3.2019 को शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पर रजि॰ एडी नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये और पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.3.2019 नियत फरमा दी गई। दिनाक 15.3.2019 को शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र की तामील मानते हुए अप्रार्थी संख्या 2 व 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 10 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश ने अण्डर टेकिंग दी तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की कोई तामील प्राप्त नहीं हुई । अप्रार्थी संख्या 13 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई की नकल प्रार्थी के अधिवक्ता को दिये बिना ही शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमा दिया गया और अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई और उक्त पत्रावली को वास्ते आदेश नियत फरमा दिया गया। दिनांक 22.03.2019 को प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि पत्रावली में मूल दिनांक 25.03.2019 नियत है। अतः पत्रावली में मूल दिनांक 25.03.2019 को सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बहस सुनी जाकर आदेश पारित किया जावे। प्रार्थना पत्र को शामिल मिसल किया जाकर प्रार्थना पत्र की नकल अप्रार्थी संख्या 13 के अधिवक्ता को दी, परन्तु अप्रर्थी संख्या 13 के अधिवक्ता ने नकल लेने से इन्कार कर दिया और पत्रावली को आदेश हेतु नियत फरमा दी गई। दिनांक 29.03.2019 को प्रार्थना पत्र 151 जाब्ता दीवानी पर बहस सुनी गई और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को गौर किये बिना ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 151 जाब्ता दीवानी खारिज फरमा दिया गया और अप्रार्थी संख्या 13 की राजनैतिक पहुंच होने के कारण प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 10.01.2019 को

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

जिला कलक्टर
जयपुर

दिनांक 1.4.2019 को बिना किसी कारण के आगे नही बढाने को आदेश पारित किये गये। दिनांक 14.5.2019 को अप्रार्थी संख्या 13 ने न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया अप्रार्थी संख्या 13 की राजनैतिक पहुंच होने के कारण पूर्व में प्रार्थी के पक्ष में जारी स्थगन आदेश को खारिज करवा दिया तथा अब उक्त विचाराधीन वाद को खारिज करवाने पर आमादा है। प्रार्थी को इस बात का अन्देशा हो गया जब प्रार्थी उक्त उनवानी वाद की पत्रावली में न्यायालय द्वारा नजदीक की तारीख पेशी दी जा रही है। इसिलए प्रार्थी को अन्देशा है कि सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय से प्रार्थी को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसिलए प्रार्थी उक्त विचाराधीन वाद को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करवाना चाहता है।

ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। विपक्षी संख्या 13 की ओर श्री भगवान सहाय शर्मा अधिवक्ता ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. उभयपक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय से प्राप्त टिप्पणी का भलीभांति अवलोकन किया गया।

सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर पीठासीन अधिकारी द्वारा उभयपक्ष को सुन कर आदेश पारित किया गया है। शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पर विधिवत नोटिस जारी किये गये है। नजदीकी तारीख पेशियां पक्षकारान की सहमति के आधार पर दी जा रही है। जिससे प्रार्थी के कथन को बल नहीं मिलता है और प्रकरण का अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
7. निर्णय आज दिनांक 4-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जुगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर